| तारीख | हुक्म |
|---|---|
| 13/9/21 | उभयपक्ष/उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता पक्षकारान या. पैरोकार पर दि. 26/10/21 को पेश हो। जवाब ... 1 से 3 पत्री ओर शामिल किया गया। |
| 26/10/21 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई पक्षकारान उप./अनु. ... उभयपक्ष उप./अनु.। ... से ... की गई परन्तु राजीनामा नहीं। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में आईन्दा 7/3/22 को पेश हो। |
| 7/3/22 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते तलबी आयन्दा दि. 13/4/22 को पेश हो। S.D.O. |
| 13/4/22 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते ... आयन्दा दि. 06/6/22 को पेश हो। S.D.O. — प्रार्थना पत्र ... 1153 / 13-4-22 |
| 06/6/2022 | ~~पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते ... आयन्दा दि. ... को पेश हो।~~ पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश। अन्य कार्यों में व्यस्तता वाकया पत्रावली दिनांक 07/6/22 को पेश हो। रीडर |
| 07/06/22 | पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील उपस्थित। वादी की तस्दीक अधिवक्ता श्री लालचन्द जाट द्वारा की गयी। वादी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। दावा पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत विड्रॉ स्वीकार किया जाता है। दावा पत्र इसी स्टेज पर जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्बजाब्ता दाखिल दफ्तर हो। — रतीराम — उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर |

Signature Not V...
Digitally signed by ...
Date: 2022.06.20 1...
Reason: SelfAtte...